न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना
R.A.S

मिसल नं.187/2022

तारीख फैसला 27.12.2023

बाबूलाल पुत्र हनुमान सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामसहाय
2. भगवती प्रसाद पुत्र हनुमान सहाय
   जाति ब्राहम्ण निवासी राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
3. लक्ष्मीमांधना पत्नी राधेश्याम जाति माहेश्वरी निवासी 1368, ताराचन्द नायक की गली परतानियो का रास्ता जयपुर
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ
5. उप पंजीयक जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थितः-

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादी
2. श्री सत्यनारायण माहेश्वरी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1

(दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 रा0टी.एक्ट)

अन्तिम डिक्री आदेश दिनांक 27.12.2023

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने जरिये वकील दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 रा0टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, 53/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, 62 रकबा 1.0495 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.8599 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 70 रकबा 0. 2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.4299 हैक्टेयर खसर नम्बर 92 रकबा 0.7966 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.3414 हैक्टेयर वाके ग्राम राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ मे स्थित है उक्त वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत राजस्व रिकार्डेड बंटवारा नहीं हुआ है । अतः दावा बाबत बंटवारा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि मे मृतक खातेदार सीताराम पुत्र रामसहाय के विरासती वादग्रस्त भूमि मे वादी को हिस्सा 1/4 अनुसार हक खातेदार घोषित कर अंकित खातेदारी हिस्से अनुसार विवादित भूमियो का विधिवत विधिक रूप से सरस नरस मे बंटवारा कराया जावे तथा वादी की भूमि का राजस्व रिकार्ड व लगान प्रतिवादीगण से अलग अलग कायम कर कराया जावें

प्रकरण दर्ज रजि0 कर प्रकरण में सुनवाई की गई । प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री सत्यनारायण माहेश्वरी एडवोकेट उपस्थित । वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया । निवेदन किया कि प्रार्थी की सामलाती भूमि खसरा नम्बर 228, 53/2, 62, 63, 70, 75, 92 कुल किता 8 कुल रकबा 3.8061 हेक्टेयर व खसरा नमबर 318, 319 कुल

किता 2 कुल रकबा 0.5311 हेक्टेयर ग्राम राजपुरवासताला मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज चला आ रहा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि मे 1/4 भूमि सीताराम पुत्र रामसहाय के नाम चली आ रही है जो कि सीताराम कंवारा नाऔलाद फोत हो चुका है जो प्रार्थी के पास ही रहता था जिसकी सेवा व दवाई , भोजन पानी प्रार्थी ने ही किया था जिससे प्रसन्न होकर प्रार्थी ने अपने जीवन काल मे ही अपनी सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि का वसीयत दिनाक 17.8. 2022 को स्टाम्प पर लिखवाकर गवाहन के पक्ष मे हस्ताक्षर कर से नोटेरी से तस्तदीक करवाकर मेरे नाम करवा दी थी तथा उसी समय से उसके हिस्से की भूमि भी मेरे पास ही कब्जे काश्त है इस प्रकार मेरे कब्जे काश्त मे उक्त सम्पूर्ण भूमि मे मेरा व सीताराम का हिस्सा मिलाकर 1/2 भूमि मेरे कब्जे काश्त मे है जिसमे वादी बाबूलाल व प्रतिवादी भगवतीप्रसाद का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है । तथा प्रार्थी सीताराम के हिस्से 1/4 को वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है

दिनांक 21.9.2023 को जरिये वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा आवेदन पेश किया । तथा निवेदन किया कि दोनो पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा व समझोता अनुसार उक्त प्रकरण में वर्णितानुसार खसरा नम्बर 228 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, 53/2 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.0495 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 63 रकबा 0.8599 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 70 रकबा 0.2276 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2150 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 75 रकबा 0.4299 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 92 रकबा 0.7966 हैक्टीयर, खसरा 318 रकबा 0.1897 हैक्टीयर खसरा नमबर 319 रकबा 0.3414 हैक्टीयर अनुसार ग्राम राजपुरवासताला मे स्थित है के संबंध में उभय पक्षो के मध्य बतौर राजीनामा निर्णय कराने मे पूर्णतया रजामन्दी हो चुकी है

पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया । पक्षकारो की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सीताराम पुत्र रामसहाय की विरासती भूमि के संबंध मे प्रस्तुत प्रतिदावा मुताबिक रानीनामा सीपीसी की धारा 12 नियिम 6 के तहत गुणावगुण के आधार पर इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि अन्य दावेदार दावा करने हेतु इस न्यायालय मे चाराजोही के हकदार रहेगें । तदृदानुसार वाद मे प्राथमिक डिक की गई । तहसीलदार जमवारामगढ मुताबिक राजीनामा अनुसार दोनो पक्षो को सूचित करते हुये कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन तीन प्रतियो में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया । तहसीलदार जमवारामगढ प्रस्ताव पत्र कमांक 5046 दिनांक 23.10.2023 द्वारा भिजवाया गया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तहसीलदार के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिर्पोट प्रस्तुत की। तहसीलदार ने बटवारा हिस्से अनुसार किया । अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि वादग्रस्त कृषि भूमिया वाके ग्राम **राजपुरवासताला** तहसील जमवारामगढ का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

कसं.	वर्तमान प्रविष्टि जमाबन्दी अनुसार	खसरानम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	बाबूलाल पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/4 , भगवती प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/4 राहिन रा.म. ग्रा. बैक शाखा ताला , रामेश्वर पुत्र	228 53/2 62 63	0.0506 0.1770 1.0495 0.8599		131

	रामसहाय हि.1/4 ,सीताराम पुत्र रामसहाय हि. 1/4 जाति ब्राहम्ण सा.देह.	70 72 75 92	0.2276 0.2150 0.4299 0.7966		
		किता 8	3.8061		131
2	भगवतीप्रसाद पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/4,सीताराम पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/4 जाति ब्राहम्ण सा.देह. , मोहम्मद एजाज पुत्र मोहम्मद भूनूस हि. 1/4 जाति मुसलमान , नि. ए246 संजय नगर झोटवाडा जयपुर ,लक्ष्मी मांधना पत्नी राकेश मांधना हि. 1/4 जाति माहेश्वर सा. 1368 ताराचन्द नायक की गली परतानियो का रास्ता जयपुर	318 319	0.1897 0.3414	—	—
		किता 2	0.5311		

कसं.	प्रस्तावित कुर्रेजात अनुसार नवीन खातेदार	खसरानम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	रामेश्वर पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण सा.देह.	53/2/1 62/1 70 72 75	0.0347 0.9705 0.2276 0.2150 0.4299		56.95
		किता 5	1.8777		56.95
2	भगवती प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय जाति ब्राहम्ण सा.देह. राहिन रा.म.ग्रा. बैक शाखा ताला	53/2/2 92	0.1423 0.7966		28.47
		किता 2	0.9389		28.47
3	ब्राबूलाल पुत्र हनुमानसहाय जाति ब्राहम्ण सा.देह.	62/2 63	0.0790 0.8599		28.47
		किता 2	93.89		28.47
4	रामेश्वर पुत्र रामसहाय हि. 1/2, बाबूलाल पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/4 बिला रहन , भगवती प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/4 राहिन राम.म.ग्रा.बैक शाखा ताला जाति ब्रा. सा.देह.	228	0.0506		1.53
		किता 1	0.0506		1.53
5	मोहम्मद एजाज पुत्र मोहम्मद भूनूस	318	0.1897		15.58

27/12/23

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

	हि. 1/4जाति मुसलमान निवास ए 246 संजय नगर झोटवाडा जयपुर, लक्ष्मी मांधना पत्नी राकेश मांधना हि. 1/4 जाति माहेश्वर सा. 1368 ताराचन्द नायक की गली परतानियो का रास्ता जयपुर, भगवती प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय हि. 3/8 रामेश्वर पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/8 जाति ब्रा. सा.देह.	319	0.3414		
					15.58
		किता 2	0.5311		

तहसीसलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथा एक दुसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हैं।

सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़

मुकदमा इबताई (रूल्स 18–21)
न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर बइजलास श्री चिमनलाल मीणा आर0ए0एस

मिसल नं 187 / 2022

तारीख फैसला 27.12.2023

बाबूलाल पुत्र हनुमान सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

वादी

बनाम

6. रामेश्वर पुत्र रामसहाय
7. भगवती प्रसाद पुत्र हनुमान सहाय
 जाति ब्राहम्ण निवासी राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
8. लक्ष्मीमाधना पत्नी राधेश्याम जाति माहेश्वरी निवासी 1368, ताराचन्द नायक की गली पुरानियो का रास्ता जयपुर
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ
10. उप पंजीयक जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित:–
1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादी
2. श्री सत्यनारायण माहेश्वरी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1

(दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 रा0टी.एक्ट)

अन्तिम डिकी आदेश दिनांक 27.12.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीणा आर.ए.एस व हाजिर श्री महेश शर्मा एवं श्री सत्यनारायण माहेश्वरी एवोकेट मिनजानिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद अन्तिम डिकी किया जाता है** । अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि वादग्रस्त कृषि भूमिया वाके ग्राम राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक
जमवारामगढ जयपुर

क्रस	वर्तमान प्रविष्टि जमाबन्दी अनुसार	खसरानम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	बाबूलाल पुत्र हनुमानसहाय हि 1/4 भगवती प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय हि 1/4 राहिन रा म ग्रा बैक शाखा ताला रामेश्वर पुत्र रामसहाय हि 1/4 सीताराम पुत्र रामसहाय हि 1/4 जाति ब्राहम्ण सा देह	228 53/2 62 63 70 72 75 92	0.0506 0.1770 1.0495 0.8599 0.2276 0.2150 0.4299 0.7966		131
		किता 8	3.8061		131
2	भगवतीप्रसाद पुत्र हनुमानसहाय हि 1/4 सीताराम पुत्र हनुमानसहाय हि 1/4 जाति ब्राहम्ण सा देह मोहम्मद एजाज पुत्र मोहम्मद भूनूस हि 1/4 जाति मुसलमान नि ए246 संजय नगर झोटवाडा जयपुर लक्ष्मी माथना पत्नी राकेश माथना हि 1/4 जाति माहेश्वर सा 1368 ताराचन्द नायक की गली परतानियो का रास्ता जयपुर	318 319	0.1897 0.3414		
		किता 2	0.5311		

कस	प्रस्तावित कुर्रेजात अनुसार नवीन खातेदार	खसरानम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	रामेश्वर पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण सा देह	53/2/1 62/1 70 72 75	0.0347 0.9705 0.2276 0.2150 0.4299		56.95
		किता 5	1.8777		56.95
2	भगवती प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय जाति ब्राहम्ण सा देह राहिन रा म ग्रा बैक शाखा ताला	53/2/2 92	0.1423 0.7966		28.47
		किता 2	0.9389		28.47
3	बाबूलाल पुत्र हनुमानसहाय जाति ब्राहम्ण सा देह	62/2 63	0.0790 0.8599		28.47
		किता 2	93.89		28.47
4	रामेश्वर पुत्र रामसहाय हि 1/2, बाबूलाल पुत्र हनुमानसहाय हि 1/4 बिला रहन भगवती प्रसाद	228	0.0506		1.53

सहायक बन्दोबस्त (भू.अ.)
[illegible] जयपुर

	पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/4 राहिन राम.म.ग्रा.बैक शाखा ताला जाति ब्रा. सा.देह.				
		किता 1	0.0506		1.53
5	मोहम्मद एजाज पुत्र मोहम्मद भूनूस हि. 1/4जाति मुसलमान निवास ए 246 संजय नगर झोटवाडा जयपुर, लक्ष्मी मांधना पत्नी राकेश मांधना हि. 1/4 जाति माहेश्वर सा. 1368 ताराचन्द नायक की गली परतानियो का रास्ता जयपुर, भगवती प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय हि. 3/8 रामेश्वर पुत्र हनुमानसहाय हि. 1/8 जाति ब्रा. सा.देह.	318 319	0.1897 0.3414		15.58
		किता 2	0.5311		15.58

तहसीसलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथा एक दुसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हैं।

27/11/23

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत.		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत.		
मिलान		

27/11/23

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ